न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–62 / 2015

निर्णय दिनांकः–25.01.2018

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक
2. प्रेम पुत्री भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक
3. शांति पुत्री भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक
4. गलखू पत्नि भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र कन्हैयालाल जाति रेगर निवासी रेगारों का मोहल्ला क0 निवाई तह. निवाई
2. मनोज पुत्र कन्हैयालाल जाति रेगर निवासी रेगारों का मोहल्ला क0 निवाई तह. निवाई
3. राकेश पुत्र कन्हैयालाल जाति रेगर निवासी रेगारों का मोहल्ला क0 निवाई तह. निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री महेश शर्मा वकील वादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई तहसील निवाई मे स्थित है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त में आये दिन मजाहमत करते है तथा झगडा करते है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने व चस्पा करने से मना करने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वादपत्र को दोहरान करते हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई तहसील निवाई मे स्थित है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त में आये दिन मजाहमत करते है तथा झगडा करते है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

वकील वादी की एकतरफा बहस का मनन, प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। बावजूद इसके वह वादी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई तहसील निवाई में बाधा मजाहमत करते हैं। उक्त विवेचन से यह न्यायालय वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई तहसील निवाई में बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/1/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक
2. प्रेम पुत्री भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक
3. शांति पुत्री भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक
4. गलखू पत्नि भागीरथ जाति बैरवा निवासी भरथल तह. निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र कन्हैयालाल जाति रेगर निवासी रेगारों का मोहल्ला क0 निवाई तह. निवाई
2. मनोज पुत्र कन्हैयालाल जाति रेगर निवासी रेगारों का मोहल्ला क0 निवाई तह. निवाई
3. राकेश पुत्र कन्हैयालाल जाति रेगर निवासी रेगारों का मोहल्ला क0 निवाई तह. निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः–62 / 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री महेश शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 4673 रकबा 17 बिस्वा वाके क0निवाई तहसील निवाई में बाधा मजाहमत नहीं करें। पाबन्द रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 01 सन् 2018 को जारी की गई।

25/1/18

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx316

Scanned by CamScanner